

2017/00016

फर्द अहकाम

दोरीदती

कमणी वर्ज.

बनाम

नाम न्यायालय सहायक कलक्टर जयवारागढ़  
केस संख्या 20/2017

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	<p>जिसमें स्पष्ट है कि वारिधा ने वी धतिवारी स. 2 को दि. 22-5-15 को वादागत गुणीयो के सम्बन्ध में आपसे इतरावनामा एवं गुन्ताकाग दे रखे हैं। जिसमें वारिधा का प्रति वतोर साक्षी है। जिस दस्तावेज का प्रकाश मुख्य फर्द व फुलरमित नहीं रहा था। किता अगर ऐसा दस्तावेज प्रतिवारी स. 2 के एक में गिनादिता है। तो वारिधा उन्हे खिनिव ग्राहकता में निरस्त रखा सम्ती है। वारिधा ने डाय 17 में गुणे उद्विचारो के तहत प्रतिवारी स. 2 वारिधा गुणीयो में कार्य कर रहा है। तो वह वारिधा डाय वरिधे बाद कारण उपना गनी इका है। वारिधा ने ग्राहकता को तथा धुपकत बाद प्रुतकेय है। ऐसी स्थिति में प्रतिवारी स. 2 द्वारा पेश कीपक आइका 7 केयक 11. ए/दि. केय जाव वारिधा का वाद रवारीज केय जाव है। पनायकी फर्द व गुणर एव गम्बर से कम है। एक बार दानि दखीव दवा है। ए</p>

सहायक कलक्टर एवं  
कार्यपालक मजिस्ट्रेट  
जयवारागढ़

